Dr. Madan Paswan, History. | Lecture No. 08 ①

Class: B.A. Part-II (Hons.) MP. | Date: 06.10.2020

Continue ...

Topic: Iqta System and Provincial System.

जिला परगनों में विभाजित थे। गाँव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। गाँव प्रशासन कार्य खूत, मुकद्दम का चौधरी चलाते थे। बतूता 'सादी' अथवा सौ गाँवों के समूह का शासन की इकाई के रूप में उल्लेख करता है।

प्रान्तीय न्यायपालिका के चार स्तर थे:-

(1) वली या गवर्नर का न्यायालय : यह प्रान्त का सर्वोच्च न्यायालय था।

(2) काजी-ए-सूबा का न्यायालय : इसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा मुख्य न्यायधीश की सिफारिश पर की जाती थी। वह दीवानी या फौजदारी दोनों मुकद्दमों की सुनवाई करता था।

(3) दीवान-ए-सूबा का न्यायालय : इसमें केवल भू-राजस्व सम्बन्धी मामलों का निर्णय होता था।

(4) सद्र-सूबा का न्यायालय : इसका क्षेत्राधिकार बहुत सीमित था।

प्रान्तीय न्यायालयों में भी केन्द्र की तरह मुफ्ती, मुहतसिब (Muhtasib) तथा दादबक होते थे। प्रान्त के न्यायिक उपविभागों में काजी, फौजदार, आमिल, कोतवाल तथा ग्राम पंचायत शामिल थी।

जिसके --

इक्ता व्यवस्था : 'इक्ता' अरबी भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में होता था। आरम्भिक मुस्लिम राज्य में विभिन्न भू-भागों को विशिष्ट टुकड़ों में बाँट

Continue ...

दिया जाता था, जो 'कता' कहलाता था। राज्य के भू-खण्ड वास्तव में अर्धस्वामित्वशाली 'उम्र' अदा करने की शर्तों पर दिये जाते थे। मुस्लिम राज्य के विस्तार के कारण अधिक सैनिकों की आवश्यकता हुई।

Continue.....

Dr. M. Paswan, History.